प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पर इसके संस्थापन (जून 2007) से नवंबर 2022 की अवधि तक आच्छादित सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। नवंबर 2022 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक और लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग का, लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहता है।